

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका हुकम में
5/3/26.	<p>पत्रा. पेश। तनकीवार आदेश निम्न प्रकार से है -</p> <p>1) तनकी नं. 1 - जमाबंदी अनुसार व मौजा रिपोर्ट अनुसार यह अपल होता है कि वादी वादग्रस्त भूमि की सहकारिता है।</p> <p>2) तनकी नं. 2 - क्योंकि वादी सहकारिता है, इसलिए विभाजन की हकदार है।</p> <p>3) तनकी नं. 3 - प्रतिवादी-2 मात्र formal पक्षकार है इसलिए 80 CPC की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, यह तनकी भी वादी के पक्ष में जाती है।</p> <p>4) तनकी 4 - TDR की विभाजन रिपोर्ट में कब्जे के अनुसार बटवारा किया गया है। प्रतिवादी का उनके जवाब में कि वह भूमि की उत्तर देना में कबिज है यह लघु विभाजन रिपोर्ट में भी आया है।</p> <p>अतः सारे साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर TDR विभाजन रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। अंतिम निर्णय पृथक से लिया गया। निर्णय आज दिनांक 5/3/26 को सुनाया गया।</p>	

सहायक अधिकारी
Che